न्यायालय—तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश गंजबासौदा, जिला विदिशा (म0प्र0)
(समक्ष—जफर इकबाल)

रजिस्ट्रेशन नंबर—बी.ए.—206/2026
फाइलिंग नंबर—बी.ए.—2469/2026
सीएनआर नंबर—एमपी4006003200—2026
आरक्षी केन्द्र पुलिस थाना बासौदा देहात, जिला विदिशा के अप.क्रमांक—194/2026
***द्वितीय** आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं.*
रजिस्ट्रेशन दिनांक—14.07.2026
अपराध धारा 333, 296(बी), 115(2), 351(3), 118(1), 3(5) बीएनएस
ईजाफा धारा 118(2) बीएनएस

1.	कमलसिंह पुत्र मेहताब सिंह, उम्र—28 वर्ष, निवासी— ग्राम मालीखेडी, तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा, म0प्र0	**———आवेदक/अभियुक्त**
	—: विरूद्ध :—	
	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना बासौदा देहात, जिला विदिशा, म0प्र0	**——अनावेदक/अभियोगी**

सत्यप्रतिलिपि
आदेश दिनांक 15.07.2026

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
15.07.2026	आवेदक/अभियुक्त **कमलसिंह** की ओर से श्री विक्रम सिंह राजपूत अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक/राज्य की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत अपर लोक अभियोजक उपस्थित। प्रकरण जमानत आवेदन पत्र पर सुनवाई हेतु नियत है। न्यायालय—संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गंजबासौदा के न्यायालय की रिमाण्ड पत्रावली अपराध क्रमांक 194/2026 अंतर्गत धारा 333, 296(बी), 115(2), 351(3), 118(1), 3(5) बीएनएस ईजाफा धारा 118(2) बीएनएस का मूल अभिलेख प्राप्त। थाना बासौदा देहात, जिला विदिशा के अपराध क्रमांक—194/2026 अंतर्गत धारा 333, 296(बी), 115(2), 351(3), 118(1), 3(5) बीएनएस ईजाफा धारा 118(2) बीएनएस की केस डायरी	

मय प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवेदन की प्रति आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता को प्रदान की जावे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायदृष्टांत ***Munnesh vs. State of Uttar Pradesh,*** *SPL (Crl) No. 1400/2025,* अनुसार आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में उसके पूर्व आपराधिक रिकार्ड संबंधी संपूर्ण जानकारी जैसे कि आवेदक के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट, उक्त प्रकरण की कार्यवाही किस प्रक्रम पर है और पूर्व में कोई दोषसिद्धी हुई है या का उल्लेख किया गया है।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा *एमसीआरसी क्रमांक–8227/2023 (दीपक यादव बनाम मध्यप्रदेश राज्य), दिनांक 01.04.2023* में प्रतिपादित दिशा–निर्देशों के आलोक में मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी निम्नानुसार है–

अभियुक्त का नाम	कमल सिंह
जमानत आवेदन पत्र क्रमांक	206/2026
जमानत आवेदन संस्थित दिनांक	14.07.2026
अपराध की दिनांक	29.04.2026
अपराध क्रमांक	194/2026
धाराएं	अंतर्गत धारा 333, 296(बी), 115(2), 351(3), 118(1), 3(5) बीएनएस ईजाफा धारा 118(2) बीएनएस
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की दिनांक	29.04.2026
आरक्षी केन्द्र	बासौदा देहात
गिरफ्तारी दिनांक	04.07.2026
न्यायिक अभिरक्षा	गिरफ्तारी दिनांक से निरंतर
अनुसंधान की स्थिति	अनुसंधान अपूर्ण
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	निरंक
अभियोग पत्र क्रमांक	निरंक
प्रकरण क्रमांक	निरंक
आपराधिक रिकार्ड	संलग्न है।

इसी प्रक्रम पर आहत रविन्द्र की ओर से श्री जितेन्द्र सिंह सौलंकी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश करते हुए

जमानत आवेदन पर मौखिक आपत्ति व्यक्त की।

आवेदक/अभियुक्त के **द्वितीय** जमानत आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा–483 भा.ना.सु.सं. पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये।

आवेदन संक्षेप में यह है कि पुलिस देहात बासौदा ने फरियादी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 194/2026 धारा 333, 296(बी), 115(2), 351(3), 118(1), 3(5) बीएनएस ईजाफा धारा 118(2) बीएनएस के तहत प्रकरण कायम कर दिनांक 04.07.2026 को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ की ओर से न्यायालय में प्रथम जमानत आवेदन बी.ए. नम्बर 201/26 शासन विरूद्ध कमलसिंह जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जो दिनांक 10.01.2026 को बल न देने के कारण वापिस ले लिया। आवेदक ने फरियादी के साथ कोई घटना कारित नहीं की है। फरियादी पक्ष ने आवेदकगण के परिवार के साथ मारपीट की और आवेदक के द्वारा फरियादी पक्ष की रिपोर्ट पर से बचने के लिए फरियादी पक्ष ने पुलिस से मिलकर आवेदक को झूठा केस बनवाया है। फरियादी पक्ष ने आवेदक के परिवार से रंजिश की वजह से दिनांक 29.04.2026 को सुबह के समय निरंजन, अजब सिंह, सुरेश, बुंदेल, बलराम, लक्ष्मीबाई सभी निवासीगण मालीखेडी के एक साथ एक राय होकर घातक हथियारों के साथ आवेदक के घर आये और आवेदक के घर के बाहर आकर गंदी–गंदी गालियां देकर झगडा करने तैयार हो गये, तब आवेदक व उसके परिवार ने बाहर आकर फरियादी पक्ष को समझाया और कहा कि हमारे घर बहू आई है शादी हुई है, तब भी फरियादी पक्ष नहीं माने और लाठी, फरसा, हसिया और डण्डों से मारपीट शुरू कर दी, जिससे उक्त मारपीट में आवेदक के बडे पापा गोपाल सिंह की आंख में गंभीर चोट आई, जिससे गोपाल सिंह की आंख फूट गई और उनको दिखना बंद हो गया। उक्त मारपीट की रिपोर्ट आवेदक के भाई जयसिंह ने फरियादी पक्ष की थाना देहात बासौदा में अपराध क्रमांक 193/26 पर दर्ज कराई।

आवेदक का आवेदन आगे इस प्रकार है कि फरियादी पक्ष ने आवेदक के घर आकर आवेदक के परिवार वालों के साथ मारपीट कर गंभीर चोटे पहुचाई और धक्का–मुक्की में आहत निरंजन गिर गया, जिससे उसे नाम में गंभीर चोट आई। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है तथा आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है तथा प्रकरण भी इतनी गंभीर प्रवृत्ति का नहीं है, जिसकी

सजा मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास हो। आवेदक का विवाह हुआ है और आवेदक के बंदीगृह में रहने से आवेदक की पत्नि का स्वास्थ्य खराब है एवं आवेदक की ग्राम मालीखेडी में चल व अचल सम्पत्ति होने से आवेदक के कहीं अन्यंत्र भागने की संभावना नहीं है। आवेदक/आरोपी का प्रथम जमानत आवेदन पत्र है, अन्य कोई आवेदन न तो उच्च न्यायालय अथवा अधीनस्थ न्यायालय से निरस्त हुआ है, न ही गतिशील है। प्रकरण से संबंधित जानकारी आवेदक के भाई द्वारा प्रदान कर प्रथम जमानत आवेदन प्रस्तुत करने अधिकृत किया है। उक्त आधारों पर प्रकरण के अंतिम निराकरण तक आवेदक/आरोपी को जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन पत्र के समर्थन में अंकित दांगी पुत्र संतोष सिंह दांगी, उम्र-23 वर्ष, निवासी- ग्राम नेवली, तहसील नटेरन, जिला विदिशा, म0प्र0 का शपथपत्र पेश किया है, जिसमें उसने प्रकट किया है कि जमानत की पैरवी हेतु श्री विक्रम सिंह राजपूत अधिवक्ता एवं उनके सहयोगी अधिवक्ता को नियुक्त किया है। आवेदक का यह धारा-483 भा.ना.सु.सं. के तहत **द्वितीय** जमानत आवेदन पत्र है। इस आवेदन पत्र के अलावा अन्य कोई आवेदन पत्र किसी भी न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन ने भी उक्त तथ्य पर अपनी सहमति प्रकट की है।

फरियादी की ओर से उसके अधिवक्ता ने जमानत आवेदन पर मौखिक आपत्ति पेश की।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है।

अभियोजन कहानी अनुसार दिनांक 29.04.2026 को सुबह करीब 8 बजे फरियादी अजब सिंह दांगी ग्राम मालीखेडी में अपने घर पर था तभी घर के बाहर नीरज, कमल सिंह व रामू दांगी आकर मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे तो उसने कहा कि गालियां क्यों दे रहे हो तो नीरज ने हाथ में रखे डण्डे से उसकी मारपीट करने लगा, वह चिल्लाया तो उसके बडे भाई निरंजन सिंह आ गये, उन्होने बीच-बचाव किया तो कमल ने हाथ में रखे फरसे से व रामू ने हाथ में रखी कुल्हाडी से निरंजन सिंह को मारा, जिससे निरंजन सिंह को सिर में व शरीर में अन्य जगह पर चोट होकर खून निकला। चिल्लाचोट की आवाज सुनकर उनके चाचा बुंदेल सिंह, भाई सुरेश, भाभी लक्ष्मी, चाचा

बलराम आ गए जिन्होने बीच–बचाव किया तो गोपाल सिंह व मेहताब सिंह आ गए और सभी ने मिलकर उन लोगों के साथ डण्डों, कुल्हाडी, फर्से व लातघूसों से मारपीट करने लगे, मारपीट से भाई निरंजन, चाचा बुंदेल सिंह, भाई सुरेश, भाभी लक्ष्मी व चाचा बलराम को शरीर में जगह–जगह चोटे आई, उसी समय जयसिंह व लाखन सिंह डण्डे लेकर आ गये, वह सभी भागकर अपने घर से चले गये तो ये सभी लोग उनके घर के अंदर घुस आये और सभी ने घर के अंदर भी उन लोगों के साथ मारपीट की और सभी जाते–जाते बोल रहे थे कि ''आज तो बच गये, अब कभी मिले तो जान से खत्म कर देंगे''।

अभियोजन कहानी आगे इस प्रकार है कि उक्त आशय की देहाती नालसी फरियादी द्वारा सिविल अस्पताल बासौदा में लेख कराई, जिस पर से थाना बासौदा देहात में अपराध क्र. 194/2026 अंतर्गत धारा 333, 296(बी), 115(2), 351(3), 118(1), 3(5) बीएनएस का दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए, आहत निरंजन सिंह को आई चोटों के संबंध में डॉक्टर साहब से क्यूरी कराई गई, जिसमें डॉक्टर साहब द्वारा पीडित की चोटें गंभीर प्रकृति की होना बताया, जिस पर से धारा 118 (2) बीएनएस का ईजाफा किया गया। आवेदक कमलसिंह को दिनांक 04.07.2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया तथा शेष आरोपीगण की तलाश जारी है। प्रकरण में विवेचना अभी जारी है।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त कमलसिंह दांगी एवं सहअभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 333, 296(बी), 115(2), 351(3), 118(1), 3(5) बीएनएस ईजाफा धारा 118(2) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो कि गंभीर प्रकृति का है। केस डायरी के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि घटना दिनांक को दोनो पक्षों के मध्य झगडा हुआ था तथा दोनो पक्षों के विरूद्ध मामले पंजीबद्ध हुए है। प्रकरण में कुल 7 आरोपीगण के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें केवल एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, शेष आरोपीगण फरार है। प्रकरण में आरोपीगण द्वारा कुल्हाडी, फर्सा जैसे घातक हथियारों से मारपीट करने का आक्षेप है। प्रकरण में आवेदक/आरोपी कमल सिंह पर यह आक्षेप है कि उसने फर्से से एवं सहअभियुक्त रामू ने कुल्हाडी से आहत निरंजन सिंह के सिर एवं शरीर के अन्य जगह मारपीट की है, जिससे आहत के सिर में

गंभीर उपहति कारित हुई है। प्रकरण में आहत को आई चोट के संबंध में संलग्न क्यूरी अनुसार आहत को आई चोट गंभीर प्रकृति की थी। प्रकरण में अभी विवेचना जारी है तथा अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है। अतः प्रकरण की परिस्थिति, आहत को आई चोट एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त **कमल सिंह** को जमानत का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता। अतः आपत्तिकर्ता की ओर मौखिक आपत्ति स्वीकार की जाती है तथा आवेदक/अभियुक्त कमल सिंह का **द्वितीय** जमानत आवेदन पत्र अस्वीकार कर **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति मय मूल अभिलेख के संबंधित न्यायालय को एवं केस डायरी संबंधित थाने को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

आदेश की सत्यापित प्रति उपजेल अधीक्षक, गंजबासौदा को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति उभय पक्ष को निःशुल्क प्रदान की जावे।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर दाखिल रिकॉर्ड हो।

ZAFAR IQBAL

Digitally signed by ZAFAR IQBAL
Date: 2026.07.15 16:49:02 +0530

सही/–
(जफर इकबाल)
तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश
गंजबासौदा, जिला विदिशा